<u>विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय: आदर्श आचार संहिता –वर्ष **2013-14** के मौसम के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्घोषणा के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर श्री विनोद जूत्सी, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग को सम्बोधित आपके तारीख **22** मार्च, 2013 के अर्ध शासकीय पत्र सं. **2-2/2002**-सीसी-ईएस के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को सरकार द्वारा वर्ष **2013-14** के मौसम के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कर्नाटक राज्य का जूट उत्पादन में कोई अंश **(**शेयर**)** नहीं है।

भवदीय,

(के**.** अजय कुमार**)**
प्रधान सचिव

आशीष बहुगुणा
सचिव

सत्यमेव जयते

कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग

अर्ध शासकीय पत्र सं. 2-2/2012-सीसी-ईएस 22 मार्च, , 2013

प्रिय विनोद,

जैसा कि आपको विदित है, कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्‌घोष्णा रोपाई के मौसम के प्रारंभ होने से पहले सरकार द्वारा की जानी होती है। वर्ष 2013-14 के मौसम के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र ही अनुमोदित किए जाने की संभावना है। कच्चे जूट को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और कुछ अन्य पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है। कर्नाटक, जहां निर्वाचनों की हाल में ही उद्‌घोषणा हुई है, का जूट उत्पादन में कोई अंश (शेयर) नहीं है। जूट के बारे में एक संक्षिप्त नोट संलग्न है।

मेरा निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि वर्ष 2013-14 के मौसम के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्‌घोषणा हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

आपका,

(आशीष बहुगुण)

श्री विनोद जूत्सी,
उप निर्वाचन आयुक्त,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन,
नई दिल्ली।

<u>कच्चे जूट के बारे में संक्षिप्त नोट</u>

पूरे विश्व में भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहां वर्ष **2010-11** में वैश्विक उत्पादन का **62** प्रतिशत उत्पादन हुआ है। उसके बाद **34** प्रतिशत अंश के साथ बांग्लादेश का स्थान आता है।

जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम एवं ओडिशा राज्यों में संकेन्द्रित है जहां वर्ष **2012-13** में कुल उत्पादन का **99.55** प्रतिशत उत्पादन हुआ। वर्ष **2012-13** में कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का अंश और क्षेत्र क्रमश: **78.28** प्रतिशत और **73.65** प्रतिशत था। कच्चे जूट के क्षेत्र, उत्पादन एवं पैदावार का राज्य-वार ब्योरा निम्नलिखित है :

राज्य	क्षेत्र (1000 हेक्टेयर)			उत्पादन (प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की 1000 बेल्स/गांठे			पैदावार (कि.ग्रा./हेक्टेयर		
	2010-11	**2011-12**	**2012-13***	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13***	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13***
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
असम	**62.3**	**65.6**	**64.0**	**625.4**	**607.9**	**602.0**	**1807**	**1669**	**1693**
बिहार	**127.7**	**129.1**	**128.0**	**1164.6**	1490.7	**1626.7**	**1642**	**2079**	**2287**
ओडिशा	**3.2**	**3.9**	**1.8**	**36.3**	**32.1**	**17.3**	**2044**	**1477**	**1748**
पश्चिम बंगाल	**568.5**	**599.0**	**570.0**	**8137.5**	**8558.6**	**8265.0**	**2577**	**2572**	**2610**
अन्य	**11.9**	**11.4**	**10.1**	**45.6**	**46.3**	**47.5**	**690**	**731**	**847**
अखिल भारतीय	**773.6**	**809.0**	**773.9**	**10009.4**	**10735.6**	**10558.5**	**2329**	**2389**	**2456**

(*)अनंतिम आंकड़ा दूसरा अग्रिम अनुमान, वर्ष **2012-13** के लिए

जैसा कि उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है, कर्नाटक, जहां विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए अनुसूची की उद्‌घोषणा की गई है, का **कच्चे जूट के उत्पादन में कोई योगदान नहीं है।**

<u>कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य</u>

कृषिगत पणों के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य उच्चतर निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने और यथोचित मूल्य पर आपूर्तियां उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित करने की दृष्टि से उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है। सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को नियत करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में लेते हुए विभिन्न कृषिगत पणों के लिए न्यूनतम समर्थन मूलय के बारे में निर्णय लेती है।

कच्चे जूट सहित विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रत्येक वर्ष नियत किया जाता है और इस समय विशेष रूप से नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है, बल्कि इससे कच्चे जूट को उगाने वाले सभी राज्यों को लाभ होता है।

कच्चे जूट के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा उद्‌घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित है :

(रु. प्रति क्विंटल)

मौसम	उद्‌घोषणा की तारीख	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.	2.	3.
2010-11	**23.04.2010**	**1575**
2011-12	**03.03.2011**	**1675**
2012-13	**01.03.2012**	**2200**

जूट एक चक्रीय फसल है जो मार्च/अप्रैल एवं जुलाई/अगस्त के बीच वर्ष में एक बार बोया जाता है और जिसकी अवधि लगभग 120 दिवसों की होती है। इसे जून एवं सितम्बर के बीच काटा जाता है, जब जूट में नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक जूट को काटकर लाए जाने की अवधि सितम्बर से दिसम्बर होती है। मौजूदा नीति के अनुसार, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्घोषणा बोने से पहले की जानी चाहिए ताकि किसान फसल के अधीन एकड़ भूमि (एकड़) के बारे में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

<u>**विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

सचिव, भारत सरकार,
योजना आयोग,
(राज्य योजना प्रभाग**)**,
योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली।

[ध्यानाकर्षण **:** श्री टी.के. पांडे, संयुक्त सचिव]

विषय**:** कर्नाटक की वार्षिक योजना **2012-13** के लिए एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता **(**ओ टी ए सी ए**)** के अधीन परियोजनाओं की स्वीकृति/रिलीज के लिए मंजूरी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके तारीख **25** मार्च, 2013 के आपके कार्यालय ज्ञापन सं. **13048/12/(**के टी**)/2011**-एस पी **(**दक्षिण**)** **(**भाग**)** के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को कर्नाटक की वार्षिक योजना **2012-13** के लिए एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अधीन कर्नाटक सरकार को शेष **15** करोड़ रु. की राशि <u>**बिना किसी प्रचार**</u> के जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

मुझे आगे यह और कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग के साथ पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन उचित माध्यम नहीं है। अपने आयोग के अधिकारियों को अनुदेश दिया जाए कि वे भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग के साथ पत्राचार करते समय पत्र का प्रयोग करें।

भवदीय,

ह./-

(के. अजय कुमार**)**
प्रधान सचिव

सं. 13048/12/(के टी) 2011-एस पी (दक्षिण) (भाग)
योजना आयोग
(राज्य योजना प्रभाग)

योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001, तारीख 25 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कर्नाटक की वार्षिक योजना 2012-13 के लिए एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ओ टी ए सी ए) के अधीन परियोजनाओं की स्वीकृति/रिलीज के लिए मंजूरी।

वार्षिक याजना के दौरान प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य की कुल योजना के आकार के भाग के रूप में एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. निम्नलिखित सारणी में कर्नाटक राज्य के लिए वार्षिक योजना 2012-13 के लिए किए गए एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का कुल प्रावधान दिखाया गया है :

(रु. करोड़ में)

वार्षिक योजना 2012-13 के लिए प्रदान की गई ओटीएसीए	**अब तक राज्यों को जारी राशि**	**जारी किए जाने के लिए अभी शेष रह गई राशि**
60.00	**45.00**	**15.00**

3. कर्नाटक सरकार ने शेष 15 करोड़ रु. के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इसे जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध है कि कृपया कर्नाटक राज्य के लिए अनुमोदित/बजट की गई एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए स्वीकृति/रिलीज जारी करने हेतु आवश्यक मंजूरी प्रदान करें।

(टी.के. पांडे)
संयुक्त सचिव

श्री के. अजय कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23710221
फैक्स: 011-2371 1850

<u>विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

सचिव, भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
कमरा सं. **602**, 'ए' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय : गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई, चल रही परियोजनाओं को अनुदान जारी किया जाना- निर्वाचन आयोग की 'अनापत्ति' के लिए अनुरोध।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके तारीख **22** मार्च, 2013 के पत्र सं. **17021/14/2012**-एस सी डी-।।। के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को उसमें किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक राज्य के लिए, किसी नए गैर-सरकारी संगठन, जिसे आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद चुना गया है, को निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

ह./-

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव

सं. 17021/14/2012-एस सी डी-।।।
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

कमरा सं. 609, 'ए' विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
22 मार्च, 2013

सेवा में,

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
(ध्यानाकर्षण : श्री के.एन. भार)

विषय : गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई, चल रही परियोजनाओं को सहायता अनुदान जारी किया जाना- निर्वाचन आयोग की 'अनापत्ति' के लिए अनुरोध।

महोदय,

कर्नाटक राज्य, जहां राज्य विधान सभा के निर्वाचन की घोषणा की गई है, की बाबत 'अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता अनुदान' की योजना के अधीन स्थिति नीचे विवरण में दर्शाई गई है :-

(लाख रु. में)

योजना का नाम	**मुख्य प्रयोजन, जिसके लिए योजना के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है**	**वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय आबंटन**	**तारीख 15.03.2013 तक जारी अनुदान की राशि**	**तारीख 15.03.2013 के बाद अनुदान के रिलीज के लिए पहले जारी स्वीकृतियां**
अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता अनुदान की योजना	आवासीय/गैर-आवासीय (प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय)/ (छात्रावास माध्यमिक), 10 बिस्तर वाले अस्पताल, सचल औषधालय, शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र आदि।	501.00 लाख रु.	199.00 लाख रु.	115.00 लाख रु.

2. इसलिए, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान 501.00 लाख रु. के राष्ट्रीय आबंटन में से 199.00 लाख रु. रिलीज किए गए हैं और परियोजनाओं को मंजूरी/प्रदान नहीं करने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त योजना, जो समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों के लिए है, के लिए चालू वर्ष में 302.00 लाख रु. की निधियां व्यपगत हो जाएंगी।

3. उपर्युक्त योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाएं 'सतत चल रही' प्रकृति की हैं और गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के अधीन निधियां प्राप्त होती हैं। उपर्युक्त योजना के अधीन गैर-सरकारी संगठनों, जो विगत कई वर्षों से उक्त योजना के अधीन परियोजनाएं चला रहे हैं, को शेष आवर्ती अनुदान रिलीज नहीं किए जाने से चालू वर्ष के आवर्ती व्यय को अब तक रिलीज नहीं किए जाने के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई होगी। इससे उनके लिए इन क्रियाकलापों को जारी रखना अत्यधिक कठिन हो जाएगा और सर्वप्रथम उनके द्वारा अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी।

4. पूर्वोक्त के मद्देनजर, अनुरोध है कि आयोग कृपया कम-से-कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंत्रालय के अनुदान से चलाई जा रही/चल रही परियोजनाओं के लिए उक्त योजना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को आवर्ती अनुदान रिलीज किए जाने के लिए 'अनापत्ति' प्रदान करने पर विचार करें।

भवदीय,

(एम.ए. मुरलीधरन)
उप सचिव, भारत सरकार

<u>**विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,
14वां तल, स्कोप मिनार, कोर-1 एवं 2,
लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक सेंटर,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

संदर्भ : आपका तारीख 26 मार्च, 2013 का पत्र सं. एनएसएफडीसी/परियोजना/केटीके/ साधारण/376

विषय: कर्नाटक में एनएसएफडीसी के एससीए, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम को चल रही योजनाओं के अधीन निधियां रिलीज किए जाने के बारे में।

महोदय,

मुझे आपके तारीख 21 मार्च, 2013 के पत्र संख्या एनएसएफडीसी/परियोजना/केटीके/साधारण/326 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को इस शर्त के अध्यधीन कि किसी नए लाभार्थियों को जोड़ा नहीं जाए और इस संबंध में प्रचार नहीं किया जाए, चल रही योजनाओं के अधीन कर्नाटक में एनएसएफडीसी के एससीए, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम (डी बी आर ए डी सी) को निधियां रिलीज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

ह./-

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव

नेशनल शेड्यूल कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

एनएसएफडीसी/प्रोजेक्ट/के टी के/जेन./326 **21** मार्च, 2013

उप निर्वाचन आयुक्त,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

यह उल्लेख किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एक आईएसओ **9000:2008** प्रमाणित कंपनी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एन एस एफ डी सी को दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में **81,000** रु. एवं शहरी क्षेत्रों में **1,03,000** रु. की वार्षिक परिवार आय) के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा **25** के अधीन स्थापित किया गया है।

एनएसएफडीसी अपनी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को आय सृजन परियोजनाओं हेतु रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसएफडीसी की योजनाएं सतत चलने वाली प्रकृति की हैं और इन्हें दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु तारीख **8.2.1989** को निगम की स्थापना के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान संदर्भ चल रही योजनाओं, जिनके लिए एस सी ए ने संवितरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी पूर्वपेक्षाओं को पूरा कर लिया है, के अधीन कर्नाटक के एनएसएफडीसी के एससीए, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम (डीबीआरएडीसी) को निधियां रिलीज करने के संदर्भ में है।

कर्नाटक में **20.3.2013** को निर्वाचन की घोषणा और आचार संहिता के लागू हो जाने को देखते हुए, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया एन एस एफ डी सी को सतत चल रही प्रकृति की योजनाओं के अधीन डी बी आर ए डी सी को निधियां रिलीज करने के लिए अनुमति प्रदान करें।

कृपया इस बारे में हमें यथाशीघ्र पुष्टि की सूचना दें क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष शीध्र ही समाप्त होने वाला है।

धन्यवाद

भवदीय,

(हरदीप सिंह किंगरा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

पंजीकृत एवं प्र.का.: 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
दूरभाष : **22054391**, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स :**22054395**, 22054349
ई-मेल nsfdc@bol.net.in website : www.nsfdc.nic.in

<u>**विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

सचिव, भारत सरकार,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
कमरा सं. **602**, 'ए' विंग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

विषय: आदर्श आचार संहिता का लागू होना – पी एम ई जी पी के अधीन कर्नाटक को निधियों को नेमी **(**रूटीन**)** रूप से रिलीज करने के बारे में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके तारीख **26** मार्च, 2013 के पत्र सं. जी-**21013/10/2012**-केवीआई **(**भाग-II**)** के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को इस शर्त के अध्यधीन कि इस संबंध में कोई प्रचार नहीं किया जाएगा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पी एम ई जी पी के अधीन कर्नाटक को **26.00** करोड़ रु. की मार्जिन धनराशि की सब्सिडी रिलीज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

ह.

(के. अजय कुमार**)**
प्रधान सचिव

<u>अति तत्काल</u>
<u>सं. जी-21013/10/2012-केवीआई(भाग-II)</u>
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
नई दिल्ली-110001
तारीख 25.03.2013

टेलिग्राम: INDMINISTRY
फैक्स :011-23062886
:011-23062858

सेवा में
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

विषय : आदर्श आचार संहिता का लागू होना – पी एम ई जी पी के अधीन कर्नाटक को निधियों को नेमी (रूटीन) रूप से रिलीज करने के बारे में।

महोदय,

इस मंत्रालय ने गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों एवं पारंपरिक शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को अधिसूचित किया था। इस कार्यक्रम में क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी सहायता के साथ व्यवहार्य उद्यमों का वित्तपोषण शामिल है। यद्यपि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के वी आई सी) को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, तथापि, इसका वास्तिवक कार्यान्वियन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

2. पी एम ई जी पी के अधीन, मार्जिन धनराशि सब्सिडी प्रत्येक 50 प्रतिशत की दो किस्तों में के वी आई सी के माध्यम से राज्यों को रिलीज की जाती है। प्रथम किस्त तब रिलीज की जाती है, जब राज्य ने पिछले सभी वर्षों के रिलीज को पूरी तरह उपयोग करने के बाद विगत वर्ष के दौरान इसे रिलीज की गई मार्जिन धनराशि की सब्सिडी के कम-से-कम 50 प्रतिशत का उपयोग कर लिया हो। दूसरी किस्त तब जारी की जाती है जब राज्य ने पिछले सभी वर्षों के रिलीज का पूरी तरह उपयोग करने के बाद चालू वर्ष के रिलीज के कम-से-कम 50 प्रतिशत का उपयोग कर लिया हो। मंत्रालय में अंगीकार किए गए मानदंडों के अनुसार, मार्जिन धनराशि सब्सिडी का अतिरिक्त आबंटन किसी राज्य के लिए तब विचार किया जाता है जब चालू वर्ष के 75 प्रतिशत आबंटन का उपयोग कर लिया गया हो (पिछले सभी वर्षों के रिलीज का पूरी तरह उपयोग करने के बाद), और यदि अतिरिक्त बजटीय संसाधन उपलब्ध हो।

3. वर्ष 2012-13 के लिए पीएमईजीपी के अधीन राज्य-वार मार्जिन धनराशि सब्सिडी का आबंटन निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियत किया गया है।

4. कर्नाटक को मार्जिन धनराशि सब्सिडी के रूप में 37.19 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। कर्नाटक को संपूर्ण राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। निर्धारित मानदंड के अनुसार, कर्नाटक राज्य ने अतिरिक्त मार्जिन धनराशि सब्सिडी के आबंटन के लिए अर्हता प्रापत कर ली है। तदनुसार, प्रस्ताव, जो पहले ही विचाराधीन था, की जांच, कर्नाटक को 26.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त मार्जिन धनराशि सब्सिडी प्रदान करने के लिए मंत्रालय में की गई है, जैसा उपर्युक्त मानदंड के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले राज्यों की बाबत नेमी आधार पर किया जाता है।

5. तथापि, इसी बीच, कर्नाटक राज्य के लिए विधान सभा निर्वाचन को तारीख 20.3.2013 को अधिसूचित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप आदर्श आधार संहिता लागू हो गई है।

6. चूंकि पीएमईजीपी एक सतत चलने वाली योजना है और मार्जिन मनी सब्सिडी को रिलीज किया जाना भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह माना जाता है कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमईजीपी के अधीन

कर्नाटक को **26.00** करोड़ रु. की मार्जिन धनराशि सब्सिडी रिलीज करने से आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होगा।

7. अनुरोध है कि कृपया इसकी शीघ्र पुष्टि की जाए क्योंकि निधियां तारीख **31.03.2013** से पहले रिलीज की जानी होगी।

भवदीय,

(एम.के. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष **011-23062573**
फैक्स **011-23062886**

<u>विशेष संदेशवाहक/फैक्स द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 437/6/सीजी/2013-सीसी एवं बीई **तारीख : 28 मार्च**, 2013

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
ग्रामोदय, 3 इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई-40056

विषय : पीएमईजीपी के अधीन स्वीकृतियों के लिए बैंकों को अग्रेषित किए जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य बल समिति द्वारा जांच किए गए आवेदनों को अग्रेषित करने के संबंध में अनुमति के बारे में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके तारीख 26 मार्च, 2013 के पत्र सं. पीएमईजीपी/एसओ के एन टी/2012-13 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को इस शर्त के अध्यधीन कि इस बारे में कोई प्रचार नहीं किया जाएगा, कोलार जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन स्वीकृतियों के लिए बैंकों को तारीख 22.03.2013 तक जिला स्तरीय कार्य बल समिति द्वारा जांचे गए आवेदनों के अग्रेषण पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

ह.

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव

उदय प्रताप सिंह, आई.ए.एस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सत्यमेव जयते

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3 इरला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
दूरभाष : 022-26711577
फैक्स :022-26718289
ई-मेल ceo@kvic.gov.in

सं. पीएमईजीपी/एसओकेएनटी/2012-13
25 मार्च, 2013

सेवा में,

श्री वी.एस. सम्पत,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
फैक्स नं. 011-23711023

विषय : पीएमईजीपी के अधीन स्वीकृतियों के लिए बैंकों को अग्रेषित किए जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य बल समिति द्वारा जांच किए गए आवेदनों को अग्रेषित करने के संबंध में अनुमति के बारे में।

महोदय,

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की एक योजना है तथा खादी एवं ग्राम उद्योग समिति पीएमईजीपी योजना को कार्यान्वित करने के लिए देश में एकमात्र नोडल एजेंसी है। यह योजना केवीआईसी, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

2. योजनानुसार, इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों की जांच साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से जिला कार्यबल समिति नामक जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है तथा पात्र शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदनों को मंजूरियों के लिए बैंकों को अग्रेषित किया जाता है। बैंक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। केवीआईसी, पीएमईजीपी के अधीन बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण हेतु मार्जिन धनराशि सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करती है।

3. देश भर में डी एल टी एफ सी गठित की गयी है। कोलर राज्य में डी एल टी एफ सी द्वारा 22-03-2013 तक चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और पी एम ई जी पी स्कीम के अंतर्गत चरण पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं।

4. चूंकि यह एक सतत स्कीम है और चयन प्रक्रिया निर्वाचन की घोषणा से पूर्व ही शुरू कर दी गयी थी, इसलिए वित्त पोषणकारी बैंकों को स्वीकृतियों के लिए आवेदन अग्रेषित करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

5. कृपया, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने, वर्ष 2009-2010 के दौरान इसी तरह के मामलो में अपना अनुमोदन दिया था और निर्णय लिया था कि निर्वाचन की नियत तारीख से पहले जहां कहीं डीएलटीएफसी गठित की गया है वहां नियत तारीख तक प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है (प्रति संलग्न)।

6. तदनुसार कमेटी, जिसने कोलर जिले में निर्वाचन की घोषणा से पहले ही चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी है, के द्वारा बैंकों को आवेदन अग्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करें।

7. कृपया अनुमोदन शीघ्र प्रदान करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(उदय प्रताप सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फेक्स न. 26713686 26 मार्च, 2013

शेष कुमार पुलिपाका
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001

25 मार्च, 2009

प्रिय श्री मिश्रा जी,

कृपया अपने दिनांक 4 मार्च, 2009 के अर्ध शासकीय पत्र सं. पीएमइजीपी/नीति/2006-09 का संदर्भ लें जो साधारण निर्वाचन 2009 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप कुछ जिलाधीशों के पीएमइजीपी के अन्तर्गत जिला कार्य बल समिति द्वारा बैंकों में आवेदन-पत्र भेजने के लिए आयोजित की जानी वाली बैठकों के प्रति अनिच्छुक होने के संबंध में हैं।

2. मंत्रालय द्वारा इस मामले को निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि 2 मार्च, 2009 से पहले गठित जिला कार्य बल समितियां 2 मार्च, 2009 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई या विचार कर सकती है। तथापि, जहां पर जिला कार्य बल समितियों का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन निर्वाचन समाप्त होने तक न किया जाए तथा जब तक निर्वाचन समाप्त नहीं हो जाता उन क्षेत्रों में आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई या विचार न किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 26 मार्च, 2009 के पत्र सं. 437/6/27/2009-सीसीएवंबीई के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है तथा सभी जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर्स को उपर्युक्त निर्णय भेज कर उनसे अनुरोध किया जाए कि निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार उनके पास लम्बित आवेदन-पत्रों के निपटान हेतु जिला कार्यबल समिति की बैठकों का आयोजन करें।

3. मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी एजेंसियों और बैंकों को प्रभावी ढंग से कहा जाए कि वर्ष 2008-09 के लिए पीएमइजीपी के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जोरदार प्रयास करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण कृपया इस मंत्रालय को भेजे।

साभार,

भवदीय,
हस्त/-
(शेष कुमार पुलिपाका)

संलग्नक : निर्वाचन आयोग की दिनांक 26.03.2009 के पत्र की प्रति।